

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक प.1(1)शिक्षा-4/2008

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- छठे वेतन आयोग के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान संशोधन के क्रम में।

संदर्भ:- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक--1.36/2009-यू.11 दिनांक 26.8.2010 एवं इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक--प.1(1)शिक्षा-4/2008पार्ट दिनांक 10.1.2011 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के क्रम में 1.1.2006 से 30.6.2010 के मध्य चयनित वेतनमान में पदोन्नति महाविद्यालय शिक्षकों को पे बेंड 3 एवं अकादमिक ग्रेड--पे 8000रूपये में न्यूनतम 23890रूपये पर स्थिरीकृत किये जाने तथा जब भी वे 3 वर्ष पूर्ण करें उन्हें पे बेंड--4 व अकादमिक ग्रेड पे 9000रूपये दिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 221001664 दिनांक 24.12.2010 के संदर्भ में जारी की जा रही है।

भवदीय,

(मधुकर गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक मा.मन्त्री महोदय, उच्च शिक्षा।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा।
6. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा।
7. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1 ()स्था./आकाशि/11/ 114

दिनांक: 21-4-2010

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
2. प्राचार्य, राजस्थान स्कूल आफ आर्ट, जयपुर
3. प्राचार्य, राजस्थान संगीत सस्थान, जयपुर
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा अजमेर
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,